आरबीई सं.114/2020

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड) RAILWAY BOARD)

सं.ई(डब्ल्यू)2020/पीएस5-2/7 **नई दिल्ली, दिनांक 28.12.2020**

महाप्रबंधक (कार्मिक एवं वाणिज्य)
सभी क्षेत्रीय रेलें और उत्पादन इकाइयां

विषय: पहले से जारी पास/पीटीओ को विस्तारित अवधि में भी उपयोग न करने की स्थिति में पास खाते में क्रेडिट करना।

संदर्भ: बोर्ड का दिनांक 15.06.2020 का समसंख्यक पत्र।

कम गाड़ी सेवाएं चलने और कोविड-19 की मौजूदा स्थिति के आधार पर पहले से जारी पास/पीटीओ को संबंधित पास खाते में डेबिट किए बिना रद्द करने के बारे में ऑल इंडिया रेलवेमेन्स फेडरेशन की ओर से प्राप्त अनुरोध पर रेलवे बोर्ड के वाणिज्य निदेशालय के साथ जाँच की गई है और सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से निम्नलिखित निर्णय लिए गए हैं:-

(i) कैलेंडर वर्ष 2019 के पास/पीटीओ के मामले में, लाभार्थियों के उपयोग के लिए ये पास/पीटीओ 2019 में पूरे वर्ष और वर्तमान कैलेंडर वर्ष 2020 तक बढ़ाई गई वैधता अवधि तक उपलब्ध थे। अतः, 2019 के अप्रयुक्त पास/पीटीओ आदि को वापस पास खाते में क्रेडिट करना न्यायोचित नहीं है और इन पासों की अवधि समाप्त समझी जाएगी।

(ii) कैलेंडर वर्ष 2020 में पास/पीटीओ, जिनका उपयोग कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण उत्पन्न असाधारण परिस्थितियों और गाड़ी सेवाओं का सामान्य स्तर पर संचालन न होने के कारण, आरक्षण करने के बाद बढ़ाई गई वैधता अवधि में भी उपयोग नहीं किया जा सका, ऐसे पास/पीटीओ (अर्थात सुविधा पास/पीटीओ, सेवोत्तर मानार्थ पास और विधवा पास) को निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन संबंधित पास खाते में वापस क्रेडिट किया जाए:-

(क) पास जारीकर्ता प्राधिकारी को भौतिक रूप से पास जमा किए जाने पर कैलेंडर वर्ष 2020 के केवल उन्हीं अप्रयुक्त पास/पीटीओ को वापस क्रेडिट करने की अनुमति दी जाएगी जिन पर यात्रा नहीं की गई हो चाहे उस पास/पीटीओ पर आरक्षण भी हो रखा हो।

(ख) उन पास/पीटीओ के मामले में जहां वर्ष 2020 के पास/पीटीओ की सुविधा प्राप्त करने के बाद "छुट्टी नकदीकरण" का लाभ उठाया गया है, परंतु गाड़ी के रद्द होने के कारण यात्रा नहीं की जा सकी है, ऐसे पास/पीटीओ को उपयोग किया गया माना जाएगा और इन्हें पास खाते में क्रेडिट नहीं किया जाएगा। इस संबंध में पास जारीकर्ता प्राधिकारी को उचित घोषणा-पत्र प्राप्त करना होगा।

2. क्षेत्रीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां कृपया उनके नियंत्रणाधीन सभी पास जारीकर्ता प्राधिकारियों को तदनुसार आवश्यक कार्रवाई करने की सलाह दें।

3. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है।

वी. मुरलीधरन
(वी. मुरलीधरन)
उप निदेशक, स्थापना (कल्याण)-I
रेलवे बोर्ड

सं.ई(डब्ल्यू)2020/पीएस5-2/7 **नई दिल्ली, दिनांक 28.12.2020**

प्रतिलिपि प्रेषित:-

भारत के उप नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (रेलवे), कमरा नंबर 224, रेल भवन, नई दिल्ली।

कृते सदस्य (वित्त)/रेलवे बोर्ड

प्रतिलिपि अग्रेषित :-

1. निदेशक (जीए), रेलवे बोर्ड।
2. कंप्यूटर सेल/सी एंड आईएस, रेलवे बोर्ड को सभी संबंधितों की जानकारी के लिए रेल मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।
3. मानक सूची के अनुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को भी सूचनार्थ अग्रेषित :-

1. महासचिव, एनएफआईआर, कमरा नं.256-ई, रेल भवन, नई दिल्ली।
2. महासचिव, एआईआरएफ, कमरा नं.253, रेल भवन, नई दिल्ली।
3. सदस्य, राष्ट्रीय परिषद, विभागीय परिषद और सचिव कर्मचारी पक्ष, राष्ट्रीय परिषद, 13-सी, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली।
4. महासचिव, एफआरओए, कमरा नं.256-ए, रेल भवन, नई दिल्ली।
5. महासचिव, आईआरपीओएफ, कमरा नं.268, रेल भवन, नई दिल्ली।
6. सचिव, आरबीएसएस, ग्रुप "ए" ऑफिसर्स एसोसिएशन, कमरा नं.402, रेल भवन, नई दिल्ली।
7. सचिव, आरबीएसएस, ग्रुप "बी" ऑफिसर्स एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली।
8. महासचिव, आरबीएसएसएसए, कमरा नं.439, रेल भवन, नई दिल्ली।
9. सचिव, रेलवे बोर्ड प्रोमोटी अधिकारी संघ, कमरा नं.341-सी, रेल भवन, नई दिल्ली।
10. सचिव, रेलवे बोर्ड लिपिकवर्गीय कर्मचारी संघ, रेल भवन, नई दिल्ली।
11. सचिव, रेलवे बोर्ड चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ, रेल भवन, नई दिल्ली।
12. महासचिव, अखिल भारतीय आरपीएफ एसोसिएशन, कमरा नं.256-डी, रेल भवन, नई दिल्ली।
13. महासचिव, अखिल भारतीय एससी/एसटी रेलवे कर्मचारी संघ, कमरा नं.7, रेल भवन, नई दिल्ली।
14. महासचिव, अखिल भारतीय ओबीसी रेलवे कर्मचारी महासंघ, कमरा नं.48, रेल भवन, नई दिल्ली।

नवीन
कृते सचिव, रेलवे बोर्ड